**भारत सरकार**
**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 680**
**(दिनांक 22.07.2026 को उत्तर देने के लिए)**

**ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री**

**680. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों, सोशल मीडिया चैनलों और डिजिटल मनोरंजन प्लेटफार्मों पर अश्लील, भद्दे, यौन उद्दीपक और सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील सामग्री की बढ़ती उपलब्धता के साथ-साथ कुछ स्टैंड-अप कॉमेडी कार्यक्रमों में असभ्य और अपमानजनक भाषा के प्रयोग का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नागरिकों, अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों से बच्चों, युवाओं और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर इस प्रकार की विषय-वस्तु के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मौजूदा कानूनों, दिशा/निर्देशों अथवा आचार संहिताओं का उल्लंघन करते पाए गए ओटीटी प्लेटफार्मों, डिजिटल विषय-वस्तु निर्माताओं और ऑनलाइन कार्यक्रमों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आपत्तिजनक विषय-वस्तु के प्रसार को रोकने और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कड़े विनियम, मजबूत विषय-वस्तु निगरानी तंत्र, आयु सत्यापन प्रणाली और दंडात्मक उपबंध लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**
**(डॉ. एल. मुरूगन)**

**(क) से (घ):** सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना

प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है।

शिकायतों के आधार पर, सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों के ख़िलाफ़ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 294, और स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों को सार्वजनिक पहुँच से प्रतिबंधित कर दिया है।

******